

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हरिश चन्द्र सिंघल बनाम लोक सूचना अधिकारी, (कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353663544402441</p>	<p>न व तारीख अहकाम जा इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>07/08/25</p>	<p>अपीलार्थी हरिश चन्द्र सिंघल निवासी 94, बलदेव नगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 06.06.2025 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा जारी डिक्री नोटिस पर की गई कार्यवाही एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेषो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी उपस्थित, रेषो. पक्ष (कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर) उपस्थित। रेषो. पक्ष (कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 61 दिनांक 27.06.2025 से बतलाया कि माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 02 जोधपुर महानगर के आदेशों की पालना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 734 दिनांक 22.11.2022, 767 दिनांक 11.01.2023 एवं पत्रांक 794 दिनांक 28.02.2023, 184 दिनांक 22.01.2024 व 187 दिनांक 07.02.2024 द्वारा सचिव, प्रबन्ध समिति सार्वजनिक सैकेण्डरी स्कूल एवं जिला शिक्षा अधिकारी मा0 शिक्षा जोधपुर को पत्रांक 762 दिनांक 06.01.2023, 15 दिनांक 26.04.2023 द्वारा समिति सार्वजनिक सैकेण्डरी स्कूल जोधपुर को राशि 1121665/- का विपत्र तैयार कर कोष कार्यालय (शहर), जोधपुर को अविलम्ब प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि का विपत्र तैयार कर कोषालय को प्रेषित नहीं किया गया है। विपत्र प्राप्त होने पर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी तथा अन्य बिन्दु इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, इस हेतु प्रार्थी संबंधित संस्था से सम्पर्क करे। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर</p>	

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.08.07 15:18:00 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
17055445